


ACM अमेरु. पञ्जल  
**फर्द अहकाम**  
 परम रख बनाम गीरा

लय

8/24 डा.प.

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
23 <sup>9</sup> / <sub>24</sub>	पत्रावली प्रस्तुत/ वकील प्रार्थी उप. प्रार्थी ने रीज. एपी खीर पेरा की <del>हा. ल. प. पेरा की</del> <del>पत्र डेड. पेरा की</del> पत्रावली दिनांक 3 <sup>10</sup> / <sub>24</sub> को पेरा दी है। Jmz सहायक कलक्टर आमेर म. जयपुर	
3 <sup>10</sup> / <sub>24</sub>	पत्रावली प्रस्तुत/ वकील प्रार्थी उप. प्रार्थी 1 ता 5 अनुपस्थित है कतः उनके निकट एक प्रतीप कार्यवाही की कापी है। (मूल पत्रावली तलब की जाकर सेलान प्र. पत्र की नौवा कमेरा <del>बदल दिनांक 6<sup>10</sup>/<sub>24</sub> को पेरा दी</del> ) Jmz सहायक कलक्टर आमेर म. जयपुर	
6 <sup>10</sup> / <sub>24</sub>	पत्रावली आज दिनांक 6/10/24 को पेरा हुई। दि. ए. एसो. जयपुर का पत्रावली प्रार्थी प्रस्तुत दिनांक 8/10/24 को पेश हो।	
08 <sup>10</sup> / <sub>24</sub>	पत्रावली प्रस्तुत/ वकील प्रार्थी उप. प्रार्थी <del>बदल देतु सलम च्याहा/ का. लो. पेरा की</del> <del>बदल करे</del> पत्रावली दिनांक 10/10/24 को पेरा दी है। Jmz सहायक कलक्टर आमेर म. जयपुर	
13 <sup>10</sup> / <sub>24</sub>	पत्रावली प्रस्तुत/ वकील प्रार्थी उप. प्रार्थी <del>बदल सुनी</del> गरी कास्ते आपेश दिनांक 16 <sup>10</sup> / <sub>24</sub> को पेरा दी है। Jmz	
16 <sup>10</sup> / <sub>24</sub>	पत्रावली प्रस्तुत/ वकील प्रार्थी उप. प्र. पत्र रैस्टोरेशन स्वीकट कर मूल वाफ सेरवा 106/2022 पर केवल काम गीता पु. नम्बर पर की जाती है विस्तृत क्रियायत प्रार्थी से लिखा जा गया। प्रार्थी पत्र सेलान मूल पत्र 24/10/24 को पेरा दी है। Jmz सहायक कलक्टर आमेर म. जयपुर	

न्यायालय :- सहायक कलक्टर आमेर,  
मुख्यालय जयपुर (राज.)  
पीठासीन अधिकारी: सुमन चौधरी  
आर.ए.एस.



प्रार्थना पत्र संख्या- 8/2024

परमेश्वरलाल बनाम गीता  
प्रार्थना पत्र बाजदायरी अंतर्गत आदेश 9 नियम 9  
संपठित धारा 151 दीवानी प्रक्रिया संहिता

उपस्थिति :-

- (1) श्री शिवप्रताप चौधरी - अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से
- (2) अप्रार्थीगण की आरे से कोई उपस्थित नहीं है

दिनांक 16.10.2025

निर्णय

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 9 नियम 9 संपठित धारा 151 सीपीसी पेश हुआ। हस्तगत प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि उपरोक्त उनवानी वाद प्रार्थी/वादी द्वारा न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर जिला जयपुर के समक्ष वाद संख्या 106/2022 परमेश्वर लाल बनाम गीता चौधरी प्रस्तुत किया गया था, जिसके सलग्न एक प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा संख्या 96/2022 परमेश्वर लाल बनाम गीता चौधरी वगैरह भी प्रस्तुत किया गया था, जिसमें प्रार्थी / वादी की ओर से अपने अधिवक्ता को पैरवी करने हेतु नियुक्त किया गया, तथा प्रार्थी / वादी की ओर से उसके अधिवक्ता ही माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होते रहे हैं, तथा प्रार्थी / वादी के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थी को आश्वस्त किया गया था कि जब भी प्रार्थी / वादी की प्रकरण में आवश्यकता होगी तो उन्हें सूचित कर दिया जावेगा, इसलिए प्रार्थी / वादी जरिये अधिवक्ता ही माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहे हैं। प्रार्थी/वादी वृद्ध व्यक्ति है जो कि कई प्रकार की बीमारी से ग्रसित है तथा दिनांक 12.06.2024 को प्रार्थी बीमार होने के कारण पेशी पर हाजिर नहीं हो सका, ना अधिवक्ता वादी से सम्पर्क कर सका, ना न्यायालय में नहीं आने बाबत सूचना ही दे सका, प्रकरण वास्ते तलबी शेष प्रतिवादीगण हेतु नियत था परन्तु मगर अदालत ने दिनांक 12.06. 2024 के आदेश के जरिये वादी के वाद को असालतन व वकालतन पैरवी नहीं होने के कारण अदम हाजरी पैरवी में खारिज फरमा दिया है। प्रार्थी वादी द्वारा दिनांक 09/8/2 को अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर मुकदमे के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिये नकल प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रमाणित प्रति हासिल करने पर सर्वप्रथम दिनांक 08.08.2024 को प्रार्थी वादी के मूल वाद के अदम हाजरी व पैरवी में खारिज होने की जानकारी हुई है। वंचित हो जावेगा, अधिवक्ता अचल सम्पत्ति से संबंधित है एवं अभी प्रतिवादीगण की तलबी हेतु प्राथमिक स्टेज पर है ऐसी स्थिति में यदि प्रार्थी/वादी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर मूल वाद को रेस्टोर नहीं किया जाता है तो प्रार्थी/वादी को अपूर्तनीय क्षति कारित होगी जिसकी पूर्ति किसी भी रूप में संभव नहीं होगी

सहायक कलक्टर  
आमेर मु. जयपुर



प्रकरण संख्या - 8/2024  
बउनवानी - परमेश्वरलाल बनाम गीता वगै0  
निर्णय दिनांक :- 16.10.2025

स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किये जाने का बिल है। प्रार्थी/वादी स्वयं एवं उनके अधिवक्ता की अनुपस्थिति इरादतन नहीं होकर उपरोक्त परिस्थिति वश थी, जो न्यायहित में क्षमा किये जाने योग्य है एवं वाद व उसके सलग्न टी.आई. प्रार्थना पत्र को पुनः नम्बर पर लिया जाना न्यायहित में आवश्यक है। वाद पत्र के अदम हाजिरी अदम पैरवी में खारिज होने की जानकारी प्रार्थी /वादी को अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर प्रमाणित प्रति लेने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने एवं उसकी नकल दिनांक 08.08.2024 को प्राप्त होने पर सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 06.08.2024 को होने पर तुरंत ही उक्त प्रार्थना पत्र अविलम्ब माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया, जो कि अन्दरमियाद प्रस्तुत है। अतः रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर माननीय न्यायालय से निवेदन है कि प्रार्थी / वादी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाद संख्या 106/2022 परमेश्वर लाल बनाम गीता चौधरी को रेस्टोर करते हुये पुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश पारित फरमावे।

अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर एडी सूचना भेजी गई कोई उपस्थित नहीं होने पर एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

प्रार्थी अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई जिन्होंने मुख्य रूप से उन्ही तथ्यों का वर्णन किया जो प्रार्थना पत्र में अंकित किए गए हैं। न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र एवं जवाब, दस्तावेजात एवं कानूनी नजीरो का अवलोकन किया गया। प्रार्थी ने कथनो से साबित किया है वह जानबुझकर न्यायालय अनुपस्थित नहीं रहे है तथा प्रार्थी वादी द्वारा अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर मुकदमे के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिये नकल प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रमाणित प्रति हासिल करने पर सर्वप्रथम दिनांक 08.08.2024 को प्रार्थी वादी के मूल वाद के अदम हाजिरी व पैरवी में खारिज होने की जानकारी हुई है। अर्थात प्रार्थी जानबुझकर गैर हाजिर नहीं रहे है अतः उपरोक्त परिस्थिति के मध्यनजर प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार कर मूल वाद संख्या 106/2022 बउनवानी परमेश्वर बनाम गीता चौधरी पुनः नम्बर पर लिया जाता है। प्रार्थना पत्र फौसल शुमार होकर संलग्न प्रार्थना पत्र रहे

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर  
आमेर मु0 जयपुर